23-12-24

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं. 2/41

तारीख दायर 04.04.2022

तारीख निर्णय 23-12-2024

## उनवान

1. कन्हैयालाल सैनी पुत्र श्री भगवान सहाय सैनी जाति सैनी उम्र करीब साल निवासी मोहल्ला सूर्या बास, बस स्टेण्ड के पास, अलवर तहसील व जिला अलवर
2. श्रीमति गुड्डी देवी पत्नी स्व० श्री भगवती प्रसाद सैनी जाति सैनी उम्र करीब साल निवासी मोहल्ला सूर्या बास, बस स्टेण्ड के पास, अलवर तहसील व जिला अलवर
3. त्रिलोक सैनी पुत्र श्री स्व० श्री भगवती प्रसाद सैनी जाति सैनी उम्र करीब साल निवासी मोहल्ला सूर्या बास, बस स्टेण्ड के पास, अलवर तहसील व जिला अलवर

बनाम

वादी/प्रार्थी

1. श्री रणजीत सिंह पुत्र स्व० श्री शिवलाल सिंह चौधरी उम्र करीब 58 साल जाति चौधरी निवासी मकान संख्या 349, आदर्श कॉलोनी, दाउदपुर, अलवर तहसील व जिला अलवर राज० ।

असल प्रतिवादी/अप्रार्थी

2. श्रीमति भगवती देवी पुत्री स्व० भगवान सहाय उम्र करीब साल जाति माली, निवासी मोहल्ला सूर्या बास, बस स्टेण्ड के पास, अलवर तहसील व जिला अलवर
3. श्रीमति तुलसा पुत्री स्व० भगवाती प्रसाद उम्र करीब साल जाति माली, निवासी मोहल्ला सूर्या बास, बस स्टेण्ड के पास, अलवर तहसील व जिला अलवर
4. श्रीमति हीराबाई पुत्री स्व० भगवाती प्रसाद उम्र करीब साल जाति माली, निवासी मोहल्ला सूर्या बास, बस स्टेण्ड के पास, अलवर तहसील व जिला अलवर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर लैण्ड होल्डर।

तरतीवी प्रतिवादी

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम**

## निर्णय

वकील वादी/प्रार्थी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 188 राज.काश्त. अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादी तथा तरतीबी प्रतिवादीगण 2 लगा० 4 एक ही हिन्दु मुश्तर्का खानदान के सदस्य है मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 4 के परिवार की बुजुर्ग श्रीमति छोटा बेवा सूसाराम एवं श्रीमति लल्ली देवी पुत्री सूसाराम जाति माली निवासी मोहल्ला सूर्या बास, बस स्टेण्ड के पास, अलवर थी, जिनके कब्जें काश्त खातेदारी की साबिक खसरा नं0 815 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके संवत 2051 में हाल खसरा नं० अराजी खसरा नं0 558 रकबा 0.01, नं0 559 रकबा 0.54 एवं खसरा नं0 560 रकबा 0.08 हो गये है, वाके ग्राम भूगोर, पटवार हल्का भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर पर स्थित है, जो कि उक्त आराजीयात उन्हे

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

विरासत में प्राप्त हुई थी, जिन छोटा बेवा सूसाराम का स्वर्गवास हो गया तथा उनकी विरासत जरिये नामांतरण संख्या 124 से श्रीमति लल्ली देवी पुत्री सूसाराम के नाम आ गई इस प्रकार से लल्ली देवी पुत्री सूसाराम विवादित अराजीयात की अकेली खातेदार हो गई। जो कि उक्त श्रीमति लल्ली देवी, वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 की माता थी तथा वादी संख्या 2 की सास तथा वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की दादी थी। जिन लल्ली देवी का स्वर्गवास दिनांक 27.10.2009 को हो गया है तथा उनके एक पुत्र भगवती प्रसाद का स्वर्गवास दिनांक 17.03.2012 को हो गया है, जो कि उक्त वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण खातेदार श्रीमति लल्ली देवी व भगवती प्रसाद के जायज एवं विधिक वारीसांन है तथा जिनके हक में स्व० लल्ली देवी के विरासत इन्तकाल की प्रक्रिया विचाराधीन है। जिस बाबत हाल जमाबंदी संवत 2069–2074 की प्रति वाद के साथ संलग्न की गई है, जो कि उक्त आराजी मूल वाद व मौजूदा प्रार्थना पत्र में विवादित है।

तरतीबी प्रतिवादीगण अपने अपने विवाह के बाद से अपने ससुराल में निवास कर रही है तथा मिन वादीगण वर्तमान में उक्त आरजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा उसे उक्त आराजी अपने हिस्सों के बाबत हर प्रकार से अधिकार काबिजाना, उपयोग उपभोग इस्तेमाली काश्तकारी खातेदारी आयद हैं।

4. यह कि मु० लल्ली पुत्री सूसाराम द्वारा अपनी उपरोक्त आराजी हाल खसरा नं0 558 रकबा 0.01, नं0 559 रकबा 0.54 एवं खसरा नं0 560 रकबा 0.08 वाके ग्राम भूगोर, पटवार हल्का भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर में से खसरा नं0 558 रकबा 0.01 सालिम एवं खसरा नं0 560 रकबा 0.08 सालिम तथा नं0 559 रकबा 0.54 में से 0.19 है० कुल किता तीन रकबा 0.28 है० का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 के हक में जरिये बयनामा दिनांक 07.04.2000 से कर दिया था, जिसका बयनामा दिनांक 07.04.2000 को कार्यालय उप पजिंयक अलवर की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 562 पृष्ट संख्या 52 क्रम संख्या 1132 पर दर्ज किया है, जिसके आधार पर नामांतरण संख्या 187 गलत रुप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दिनांक 30.04.2000 को स्वीकार किया गया है, क्योकि लल्ली देवी पुत्री सूसाराम के द्वारा खसरा नं0 558 रकबा 0.01 सालिम एवं खसरा नं0 560 रकबा 0.08 सालिम तथा नं0 559 रकबा 0.54 में से 0.19 है0 कुल किता तीन रकबा 0.28 है० वाके ग्राम भूगोर, पटवार हल्का भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर का ही बेचान किया था, जबकी नामांतरण संख्या 187 स्वीकार करते समय प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सें काश्तकार दर्ज किया है, जो नामांतरण खिलाफ कानून व खिलाफ दस्तावेज है, जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा जिसके आधार पर जमाबंदी संवत 2069–74 में जो 1/2 भाग का अंकन किया गया है, वह भी खिलाफ कानून व खिलाफ रेकार्ड है. जिसे कलम जन किया जाकर उसमें से खसरा नं0 559 रकबा 0.54 है० में से 0.35 हे0 का वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण 2 लगा० 4 को खातेदार काश्ताकर घोषित फरमाया जावे व इसी अनुसार दुरुस्ती फरमाई जावें, जिस हेतु मूल वाद व मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है

आराजी खसरा नं0 560 रकबा 0.08 है० गैर मु० रास्ता की भुमि थी, जिसे पीडब्ल्यूडी अलवर के द्वारा बाईपास के लिये अधिगृहित कर लिया गया है, जो कि गैर मु० रास्ता था तथा साबिक खसरा नं0 815 का भाग था, जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है आराजी खसरा नं० 559 रकबा 0.54 है0 में अब शामलात में रहकर काश्त करना मुश्किल हो गया है,

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

असल प्रतिवादी संख्या 1 लडाकू व खूखांर शख्स है तथा उसने भूमाफिया गैंग बनाई हुई है, जिसके उपर तक रसूखात है, जिसके द्वारा मिन वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी 2 लगा० 4 को उनके हक व हिस्सें की आराजी पर काश्त व उपयोग उपभोग करने में रुकावट व मजाहमत की जा रही है, जिसके चलते मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादी 2 लगा० 4 आराजी खसरा नं0 559 रकबा 0.54 है० वाके ग्राम भूगोर, अलवर में से अपने हिस्से की 0.35 है० आराजी को तकीसम कराने के अधिकारी है, जिसके चलते उपरोक्त अराजीयात में से मिन वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी 2 लगा० 4 का हिस्सा 0.35 है० तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 0.19 है० तकसीम किया जाकर अलग से खाता कायम कियाजावे तथा तकसमी शुदा आराजीयात पर दखल दिलाया जाकर लगान कायम किया जावें, जिस आराजी खसरा नं0 559 रकबा 0.54 है० वाके ग्राम भूगोर, अलवर का आज दिनांक तक कोई तकासमा नही हुआ है, जिस हेतु मूल वाद व मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है

वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 4 उपरोक्त विवादित आराजीयात पर अरसे दराज से अपनी माता, सास व दादी श्रीमति लल्ली देवी के जीवनकाल से ही बहैसीयत मालिक काबिज है तथा बतौर खातेदार काश्तकारी करते चले आ रहे है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की प्रारंभ से ही बुरी नजर रही है तथा उसके द्वारा जब तब अपनी खातेदारी की आड में मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादी के 0.35 है० हिस्से की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने अपनी आराजीयात में शामिल करने व मिन वादीगण को बेदखल करने का प्रयास किया जाता रहा है।

असल प्रतिवादी, भूमाफीया शख्स है, जिसके द्वारा एक नाजायज गिरोह बनाया हुआ है, जो अपनी ताकत व रसूख के आधार पर मिन वादीगण को उनकी कब्जें काश्त खातेदारी की आराजी 0.35 है० भाग से जबरन बेदखल कर कब्जा करना चाहते है तथ मिन वादीगण की आराजीयात को अपनी आराजी में शामिल करना चाहता है, चूंकि मिन वादी संख्या 1. जईफ उम्र का शख्स है तथा ताकत में कमजोर है, जिसके चलते मिन वादी मौके पर प्रतिवादी का सामना करने में असमर्थ है, जिस स्थिती का नाजाजय लाभ उठाते हुए असल प्रतिवादी मिन वादीगण को उक्त विवादित आराजी खसरा नं0 559 रकबा 0.54 वाके ग्राम भूगोर, पटवार हल्का भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर से जबरन बेदखल करके उस पर नाजायज कब्जा करना चाहता है तथा मौके पर निर्माण कर उसे अपने हिस्सें की आराजीयात में शामिल कर से अपने अवैध कब्जें के आधार पर उसे दीगर जगह रहन बय हिबय से मुंतकिल करना चाहते है। जिसका उसे कोई अधिकार नही है।

वाद पत्र मे वर्णित विवादित आराजी मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी 2 लगा० 4 की मिल्कियत मकबूजा की कब्जें काश्त खातेदारी की अराजी है, जिस पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 4 अरसे दराज से बहैसीयत मालिक काबिज चले आ रहे है, लेकिन प्रतिवादी के द्वारा उक्त आराजीयात के बाबत एक मिथ्या वाद प्रस्तुत कर उसकी आड में मौके पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस क्रम में उसके द्वारा जेसीबी मशीन का इस्तेमाल कर मौके पर बडी मात्रा में तोड फोड व निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, तथा उसके द्वारा दिनांक 26–03–2022 को भी मौके पर निर्माण सामग्री डलवा कर जबरन मिन वादीगण की आराजीयात को अपनी आराजी में शामिल कर निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बडी ही मुश्किल से आस पडोस के लोगों की मदद से रोका गया है, जिस पर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रतिवादी ने मिन वादीगण को धमकी दी है कि वे जब तब मौका देख कर मिन वादीगण को मौके से बेदखल कर कब्जा कर लेंगा तथा उस पर जबरन निर्माण कर उसे कब्जे व फर्जी दस्तावेज के आधार पर दीगर जगह मुंतकिल कर देगें, जिससे व्यथित होकर यह मूल वाद व मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है।

असल प्रतिवादी को मिन वादीगण के हिस्सें की आराजीयात के बावत कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है, उसके उपरांत भी यदि असल प्रतिवादी ने मिन वादीगण को विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा कर लिया तथा उस पर अवैध रुप से तोड फोड व निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया तथा आराजीयात को उक्त कब्जे व नुमायशी दस्तावेजात के आधार पर दीगर जगह रहन बय हिबय से मुंतकिल कर दिया तथा फर्जी दस्तावेज के आधार पर कागजात माल में फर्जी इन्द्राज करा लिया तो वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 4 को ऐसा भारी नुकसान होगा की जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी एवं वे तबाह व बर्बाद हो जावेगें, जिस बावत मूल वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसके निस्तारण में समय लगने की संभावना है, इसलिए मिन वादीगण असल प्रतिवादी को ता–फैसला मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबदं कराने के अधिकारी है कि, असल प्रतिवादी मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 व 4 को ता–फैसला मूल वाद उपरोक्त विवादित आराजी खसरा नं0 559 रकबा 0.54 वाके ग्राम भूगोर, पटवार हल्का भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर के स्वयं के 0.35 है0 भाग के उपयोग उपभोग इस्तेमाल काश्तकारी में फसल बोने काटने समेटने में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें, तथा स्वयं अथवा अन्य किसी माध्यम से उक्त आराजी पर से मिन वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा ना करे मौके पर कोई तोडफोड या नवीन निर्माण ना करे तथा आराजी को फर्जी दस्तावेजात के आधार पर दीगर जगह रहन बय हिबय आदी से मुंतकिल मकफुल ना करे व व मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाए रखे। प्रामाफेसाई केस. सुविधा का संतूलन व नापूर्ति होने वाला नुकसान मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगा 4 के पक्ष में बखूबी आयद व साबित है

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि उपरोक्त हालात पर गौर फरमाते हुए असल प्रतिवादी संख्या 1 को ता–फैसला मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि, असल प्रतिवादी संख्या 1 वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 2 लगा० 4 की मिल्कियत मकबूजा खातेदारी की अराजी खसरा नं0 559 रकबा 0.54 वाके ग्राम भूगोर, पटवार हल्का भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर के बावत मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण 2 लगा० 4 के 0.35 है0 हिस्सें की आराजीयात के उपयोग उपभोग इस्तेमाल काश्तकारी फसल बोने काटने समेटने में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें व उक्त विवादित आरजी पर स्वयं के 0.19 है०. हिस्सें की आड लेकर स्वयं अथवा दीगर शख्सों की मदद से मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण 2 लगा० 4 को जबरन बेदखल कर उस पर अवैध रुप से कब्जा ना करें तथा स्वयं अथवा अन्य किसी माध्यम से उक्त आराजी पर से मिन वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा ना करे तथा आराजीयात पर तोडफोड या नवीन निर्माण ना करे तथा आराजी को फर्जी दस्तावेजात के आधार पर दीगर जगह रहन बय हिबय आदी से मुंतकिल मकफुल ना करे व व मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाए रखे,

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का जवाव अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उक्त वाद में सफलता की कोई

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उम्मीद प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 को नहीं रखनी चाहिए तथा वाद पत्र के चरण वर्तमान प्रार्थना पत्र के साथ पढ़े जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की माता/सास/दादी लल्ली पुत्री सूसाराम माली की खातेदारी की साबिक आराजी खसरा नं. 815 में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि अधिशांषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, अलवर (राज०) के द्वारा अलवर बाईपास, अलवर भिवाड़ी रोड़ के लिए दिनांक 10.1.1992 को अवाप्त की जाकर अवार्ड पारित हुआ था जिसकी अवार्ड राशि लल्ली के द्वारा प्राप्त कर ली गई एवं शेष भूमि मिन अप्रार्थी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.8.1999 को विक्रय की जा चुकी है। हाल जमाबंदी 2069-2074 में लल्ली पुत्री सूसाराम का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज चला आ रहा है जबकि उक्त हिस्सा अधिशांषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, अलवर (राज०) के नाम दर्ज होने योग्य है जिस बाबत मिन अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा एक राजस्व वाद बअनुवान रणजीत सिंह बनाम् कन्हैयालाल सैनी माननीय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के यहां पेश किया हुआ है, जिस राजस्व प्रार्थना पत्र की तामील प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 जो कि उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 दर्ज है, को हो चुकी है, जिसमें जवाबदेही करने की बजाए प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगातय 4 के द्वारा दुषित सोच के तहत आलोच्य राजस्व प्रार्थना पत्र बिना किसी हक व अधिकार के पेश किया गया है, जो कि चलने योग्य नहीं है खारिज फरमाए जाने योग्य है।

साबिक खसरा नं. 815 जिसके हाल खसरा नं. 558, 559, 560 वाके ग्राम भूगोर हैं, में प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की माता/सास/दादी लल्ली पुत्री सूसाराम माली का ही कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है, जिस कारण से प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 का आराजी पर काबिज होकर काश्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। हाल खसरा नं. 558, 559 में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि अलवर वाई पास वास्ते अवाप्त की गई थी, जिस पर अलवर भिवाड़ी रोड निर्मित है, शेष भूमि पर मिन अप्रार्थी सं. 1 दिनांक 11.8.1999 पिछले करीब 23 वर्षो से बहैसियत मालिक काविज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है, मिन अप्रार्थी सं. 1 के नाम बयनामा के आधार पर विधिवत इंतकाल खोला गया है, खसरा नं. 560 गै.मु. रास्ता है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण के द्वारा आलोच्य चरण में तथ्यों को तोडमरोड कर मनमाने रूप में दर्ज किया है एवं बेजा रूप से मिन अप्रार्थी सं. 1 के हक में हुए रजिस्टर्ड बयनामा एवं उसके आधार पर खुले इंतकाल की दुरूस्ती बाबत आलोच्य प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। सही तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं. 558 रकबा 0.01 गै.मु. चाह, 559 रकबा 0.54 है. नहरी 2 एवं खसरा नं. 560 रकबा 0.08 है. गै.मु. रास्ता है, जिसके साविक खसरा नं. 815 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा थे, जो कि प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की माता/सास/दादी लल्ली पुत्री सूसाराम माली की खातेदारी की आराजी थी, जिस साविक खसरा नं. 815 भूमि में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि की अवाप्ति अधिशांषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, अलवर (राज०) के द्वारा अलवर बाईपास, अलवर भिवाड़ी रोड़ के लिए दिनांक 10.1.1992 को अवाप्ति बाबत अवार्ड जारी किया गया जा चुका है, जिस अवाप्तशुदा भूमि की बनने वाली अवाप्ति राशि 96,863/-रूपये लल्ली पुत्री सूसाराम माली द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्राप्त की जा चुकी है। लल्ली पुत्री सूसाराम माली के द्वारा अवाप्ति भूमि के पश्चात शेष भूमि

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

मिन अप्रार्थी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तहरीर दिंनाक 11.8.1999 तकमील दिनांक 07.4.2000 के विधिवत विक्रय की गई है एवं बैय की समस्त राशि प्राप्त की जाकर कब्जा विक्रयशुदा भूमि का मिन अप्रार्थी सं. 1 को दिनांक 11.8.1999 को ही प्रदान किया जा चुका था। बाद खरीद मिन अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा चारदीवारी की जाकर एक कमरा, ऑफिस बनाया हुआ है एवं विद्युत कनैक्शन स्वयं के नाम से लिया हुआ है, जो मौके पर जारी है। बयनामा के आधार पर मिन अप्रार्थी सं. 1 के हक में नामान्तरण संख्या 187 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। मिन अप्रार्थी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में बहैसियत मालिक दर्ज चला आ रहा है। साबिक खसरा नं. 815 हाल खसरा नं. 558, 559, 560 वाके ग्राम भूगोर में लल्ली पुत्री सूसाराम माली का जी का कोई हक व हिस्सा निहित रहा था, जिस कारण से उसके वारिसान प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 को उक्त खसरा भूमि की बाबत वाद पेश करने के कोई हक हकूक हासिल नहीं होते है। प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 विवादित बताई जा रही भूमि से गैरकाबिज गैरवास्ता शख्स है, जिनका मौके पर कोई कब्जा, लेना देना वास्ता व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। हाल जमाबंदी 2069–2074 में लल्ली पुत्री सूसाराम का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज चला आ रहा है जबकि उक्त हिस्सा अधिशांषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, अलवर (राज०) के नाम दर्ज होने योग्य है जिस बाबत मिन अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा एक राजस्व वाद बअनुवान रणजीत सिंह बनाम् कन्हैयालाल सैनी माननीय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के यहां पेश किया हुआ है जिस राजस्व प्रार्थना पत्र की तामील प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 जो कि उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 दर्ज है, को हो चुकी है, जिसमें जवाबदेही करने की बजाए प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगातय 4 के द्वारा दुषित सोच के तहत आलोच्य राजस्व प्रार्थना पत्र बिना किसी हक व अधिकार के पेश किया गया है, जो कि चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमाए जाने योग्य है।

हाल आराजी खसरा नं. 560 रकबा 0.08 है. राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता है जो कि वर्तमान में मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रहा है, जो कि अलवर बाई पास, अलवर–भिवाड़ी रोड़ नहीं है। अलवर बाई पास, अलवर–भिवाड़ी रोड़ के लिए साबिक खसरा नं. 815 में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि दिनांक 10.1.1992 को अधिशांषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, अलवर (राज०) द्वारा अवाप्त की जाकर बनने वाली अवार्ड राशि का भुगतान लल्ली को किया जा चुका है, जिन तथ्यों को प्रार्थीगण के द्वारा बराय बदयान्ति छिपाते हुए आलोच्य चरण में मनगढंत तथ्य वर्णित किये गये हैं। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की कब्जे काश्त की कोई भूमि मौके पर नहीं है। दिनांक 11.8.1999 को प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की माता/सास/दादी लल्ली पुत्री सूसाराम माली के द्वारा साबिक खसरा नं. 815 में अपनी निहित भूमि का बेचान मिन अप्रार्थी सं. 1 को किये जाने के उपरान्त खसरा नं. 815 से लल्ली का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा था जिस कारण से प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 का भी कोई लेना देना वास्ता व सम्बन्ध विवादित आराजी से नहीं है लल्ली का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन ना होने के आधार पर प्रार्थीगण के द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र बिना किसी हक व अधिकार के पेश किया गया है। प्रार्थीगण किसी आराजी को तकसीम

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

कराने, खाता पृथक करवाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण की कोई कथित भूमि ही नहीं है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की माता/सास/दादी लल्ली पुत्री सुसाराम माली की कोई आराजी साबिक खसरा नं. 815 में निहित नहीं रही थी। अवाप्ति पश्चात रही समस्त आराजी भूमि का बेचान लल्ली के द्वारा किया जा चुका है, जिस कारण से प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 का यह दर्ज करना कि उनका लल्ली के जीवनकाल से एवं उनकी मृत्यु पश्चात मौके पर कोई बहैसियत मालिक कब्जा हो, काश्त हो स्वतः ही झूठे तथ्य साबित हो जाते है। मिन अप्रार्थी सं. 1 अपनी हिस्से की भूमि का सद्भाविक क्रेता है जिसके नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में हो रहा है। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की माता/सास/दादी लल्ली का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन ना होने के कारण प्रार्थीगण के द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र पेश किया गया है यहाँ गौर श्रीमान है कि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की माता/सास/दादी लल्ली का नाम हाल खसरा नं. 558, 559, 560 ग्राम भूगोर के राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर अधिशांषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, अलवर (राज०) का नाम दर्ज किये जाने वास्ते मिन अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा राजस्व वाद माननीय न्यायालय में पेश किया हुआ है जिसकी दुर्भावना से आलोच्य प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाये जाने योग्य है

अप्रार्थी सं. 1 अपनी हिस्से की भूमि का सद्भाविक क्रेता है जिसके नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में हो रहा है। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की माता/सास/दादी लल्ली का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन ना होने के कारण उक्त के आधार पर बिना किसी हक व हकूक के प्रार्थीगण के द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा व काश्त ही नहीं है तो उन्हें बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाये जाने योग्य है दिनांक 26.3.2022 का वाका प्रार्थीगण के द्वारा मिथ्या व मनगंढत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र की खानापूर्ति के चलते वर्णित किया गया है। प्रार्थीगण की जब कोई आराजी ही नहीं है तो उसे मिन अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपनी आराजी में मिलाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगण ने कयासिया आधार पर आलोच्य प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विस्तृत तथ्य अतिरिक्त कथनों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण का खसरा नं. 559 रकबा 0.54 वाके ग्राम भूगोर में कोई 0.35 है. भाग निहित नहीं है, समर्थन में जवाब प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेश किये जा रहे है। जब प्रार्थीगण का खसरा नं. 559 ग्राम भूगोर से कोई लेना देना ही नहीं है तो उन्हें नापूर्ति योग्य क्षति कारित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगण, मिन अप्रार्थी सं. 1 जो कि रिकार्डेड खातेदार है को किसी भी रूप में पाबन्द करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण विवादित आराजी से गैरकाबिज गैरवास्ता शख्स है। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 जो कि स्वयं को लल्ली पुत्री सूसाराम के वारिस होना दर्ज करते है एवं उसके फुटस्टेप पर आलोच्य प्रार्थना पत्र पेश करना दर्ज करते है, की बाबत निवेदन है कि लल्ली पुत्री सूसाराम की खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नं. 815 की समस्त भूमि में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लिया गया था एवं शेष काश्त की भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

बयनामा मिन अप्रार्थी सं. 1 को किया जा चुका है, जिस कारण से प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। लल्ली पुत्री सूसाराम का ही उसके जीवनकाल में साविक खसरा नं. 815 से कोई लेना देना वास्ता व सरोकार नहीं रहा था जिस कारण से प्रार्थीगण के द्वारा आलोच्य चरण में वर्णित समस्त तथ्य स्वतः ही झूठे व मनगंढत साबित हो जाते है।

प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 के पक्ष में किसी भी प्रकार से प्रामाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाला नुकसान कतई जाहिर व सावित नहीं है, क्योंकि उनका कोई लेना देना व वास्ता व सरोकार एवं हक व हिस्सा विर्वादित दर्ज आराजी में निहित नहीं है। लल्ली पुत्री सूसाराम का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन ना होने के आधार पर प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया है, जो कि मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाये जाने योग्य है। विशेष तथ्य अतिरिक्त कथनों में दर्ज है।

वकील प्रतिवादी द्वारा साथ ही निम्न अतिरिक्त कथन प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थीगण के द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र बिना किसी हक व अधिकार के न्यायालय श्रीमान में मिन अप्रार्थी सं. 1 को बेजा तंग व परेशान करने की मंशा से पेश किया गया है, जो कि खारिज फरमाए जाने योग्य है प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने वास्ते कोई विनायदावी विनायमुखास्मत उत्पन्न नहीं होती है जिस कारण से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के विधिक प्रावधानों के तहत इसी स्तर पर खारिज फरमाए जाने योग्य है प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 को प्रार्थना पत्र पेश करने वास्ते कोई हक हकूक हासिल नहीं है। आराजी खसरा नं. 558 रकबा 0.01 गै.मु. चाह, 559 रकबा 0.54 है. नहरी 2 एवं खसरा नं. 560 रकबा 0.08 है. गै.मु. रास्ता है, जिसके साविक खसरा नं. 815 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा थे, जो कि प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की माता/सास/दादी लल्ली पुत्री सूसाराम माली की खातेदारी की आराजी थी।

प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की माता/सास/दादी लल्ली पुत्री सूसाराम माली की खातेदारी के साविक खसरा नं. 815 भूमि में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि की अवाप्ति अधिशांषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, अलवर (राज०) के द्वारा अलवर बाईपास, अलवर भिवाड़ी रोड़ के लिए दिनांक 10.1.1992 को अवाप्ति बाबत अवार्ड जारी किया गया, जिस अवाप्तशुदा भूमि की बनने वाली अवाप्ति राशि 96,863/- रूपये लल्ली पुत्री सूसाराम माली द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्राप्त की जा चुकी है

प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की माता/सास/दादी लल्ली पुत्री सूसाराम माली के द्वारा अवाप्ति भूमि के पश्चात साविक खसरा नं. 815 ग्राम भूगोर में स्वयं की शेष भूमि 28 एयर को मिन अप्रार्थी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तहरीर दिंनाक 11.8.1999 तकमीली दिनांक 07.4.2000 को विधिवत विक्रय की गई है एवं वैय की समस्त राशि प्राप्त की जाकर कब्जा विक्रयशुदा भूमि का मिन अप्रार्थी सं. 1 को प्रदान किया गया था। बाद खरीद दिनांक 11.8.1999 से ही मिन अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि में चारदीवारी की जाकर एक कमरा, ऑफिस बनाया हुआ है एवं विद्युत कनैक्शन स्वयं के नाम से लिया हुआ है, जो मौके पर जारी है।

प्रार्थीगण एवं तरतीवी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की माता/सास/दादी लल्ली पुत्री सूसाराम माली की खातेदारी की साविक आराजी खसरा नं. 815 में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अधिशांषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, अलवर (राज०) के द्वारा अलवर बाईपास, अलवर भिवाड़ी रोड़ के लिए दिनांक 10.1.1992 को अवाप्त की जाकर अवार्ड पारित हुआ था जिसकी अवार्ड राशि लल्ली के द्वारा प्राप्त कर ली गई एवं शेष भूमि मिन अप्रार्थी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.8.1999 को विक्रय की जा चुकी है। हाल जमाबंदी 2069–2074 में लल्ली पुत्री सूसाराम का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज चला आ रहा है जबकि उक्त हिस्सा अधिशांषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, अलवर के नाम दर्ज होने योग्य है जिस बाबत मिन अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा एक राजस्व वाद बअनुवान रणजीत सिंह बनाम् कन्हैयालाल रौनी माननीय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के यहां पेश किया हुआ है, जिसमें दिनांक 28.1.2022 को माननीय न्यायालय के द्वारा खसरा नं. 558, 559, 560 ग्राम भूगोर के रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने के आदेश सादिर फरमाए हुए है, जिस राजस्व प्रार्थना पत्र की तामील प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 जो कि उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 दर्ज है, को हो चुकी है, जिसमें जवाबदेही करने की बजाए प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 के द्वारा दुषित सोच के तहत आलोच्य राजस्व प्रार्थना पत्र बिना किसी हक व अधिकार के पेश किया गया है, जो कि चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमाए जाने योग्य है।

साबिक खसरा नं. 815 हाल खसरा नं. 558, 559, 560 वाके ग्राम भूगोर में लल्ली पुत्री सूसाराम माली का कोई हक व हिस्सा निहित रहा था, जिस कारण से उसके वारिसान प्रार्थीगण एवं तरतीवी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 को उक्त खसरा भूमि की बाबत वाद पेश करने के कोई हक हकूक हासिल नहीं होते है। प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 विवादित बताई जा रही भूमि से गैरकाबिज गैरवास्ता शख्स है, जिनका मौके पर कोई कब्जा, लेना देना वास्ता व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है

वकुलाय की बहस सुनी गई वकुलाय द्वारा जबाव एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को ही दोहराया गया हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधि. के निर्णय से पूर्व तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति पर गौर करना होता है।

**1: प्रथम दृष्टया केस** :–1:–न्यायालय को सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (राजस्व रिकार्ड) पर गौर कर यह देखना है कि आया प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है अथवा नहीं। प्रार्थी ने प्रा0पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–74 वाके ग्राम भूगोर तहसील अलवर पेश की है प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी के अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है एव वक्त बहस अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवाप्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर प्रस्तुत रिकॉर्ड अनुसार अलवर बाईपास, अलवर भिवाडी रोड के लिये दिनॉक 10–01–1992 को अवाप्ति बाबत जारी जो अवार्ड राशि 96863/–रूपये लल्ली पुत्री सूसाराम द्वारा अपने जीवनकाल ही प्राप्त कर ली थी शेष आराजी का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनॉक 11–08–1999 को किया जा चुका है दावे में साक्ष्य व सबूत के आधार पर मेरिट पर निर्णय किया जावेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के हक में साबित होते है।

**2 सुविधा का सन्तुलनः**–अप्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड काश्तकार खातेदार है संलग्न राजस्व दस्तावेजात से इसकी पुष्टि होती है। प्रार्थी ने जबाव प्रा0 पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी जबरन नाजायज कब्जा करने की नियत रखते है परन्तु ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

नहीं किया जिससे यह साबित होता हो नाही साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जबकि अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि वह वक्त क्रय आराजी के वक्त से ही आराजी पर काबिज है तथा मौके पर उनका कब्जा है अप्रार्थी के कथनो की काफी हद तक प्रमाणिकता वहस दौरान प्रस्तुत सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रस्तुत नकलात से होती है इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक में साबित होता है।

3 अपूर्णीय क्षति :—विवादित आराजी कृषि भूमि है एवं पक्षकारान की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी की अबट आराजी है अबट आराजी में प्रत्येक खातेदार का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी पर इंच इंच पर हिस्सा होता है तथा प्रार्थीगणो द्वारा सार्वजनिक विभाग को भी पक्षकार नही बनाया गया है अप्रार्थीगण द्वारा स्वच्छ विचारो के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है अवाप्तशुदा आराजी के सार्वजिनक निर्माण विभाग अलवर के नाम नामान्तकरण की प्रकिया तहसीलदार अलवर के विचाराधीन होने बावत पत्रो से स्पष्ट जाहिर पाया जाता है उक्त प्रकार सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुके है तो नापूर्ति होने वाली क्षति भी प्रार्थी को ना होकर अप्रार्थीगण एंव सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में पाई जाती है।

यह स्पष्ट है कि अस्थाई निषेधाज्ञा देने के लिए तीनों शर्ते प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति क्षति पूरी होनी चाहिए। यहां तीनो बिन्दु केस अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम प्रकरण स0 2/41 आराजी खसरा नम्बर 559 वाके ग्राम भूगोर तहसील अलवर खारिज किया जाता है।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 23 –12–24 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर